न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला दौसा (राज0)

रेवेन्यु प्रकरण संख्या :– 07/2011 पीठासीन अधिकारी

दिनांक रजु :– 13-07-2012 श्री मोहरसिंह मीना (आर.ए.एस.)

नाथूलाल (फौत

1/1 दिनेश कुमार } पि0 नाथूलाल
1/2 उमेश कुमार }
1/3 रामप्यारी बेवा नाथूलाल

} समस्त जाति कोली निवासी ग्राम डिडवाना डुगरी पाडा तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(वादीगण)

बनाम

1. जगदीश पुत्र गंगासहाय जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा राज0
2. रेवडमल } पि0 मोती
3. किशन }
4. शान्ति बेवा भूरया
5. विकासदीत }
6. विनित } पि0 विजयशंकर
7. मोन्टू }
8. विशालदीत }
9. चन्द्रप्रकाश } पि0 दुर्गाप्रसाद
10. पंकज }
11. ताराचन्द पुत्र जीवनलाल
12. प्रेमसिंह }
13. महादेव } पि0 घासीराम
14. चतुर्भुज }
15. छोट्या }
16. सतीश } पि0 कैलाश
17. मनिष }
18. भारत } पि0 सुन्दरलाल
19. नितीन }

} समस्त जाति कोली निवासी ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लालसोट जिला दौसा

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

21. उपखंजीयक महोदय लालसोट जिला दौसा

(प्रतिवादीगण)

वाद दुरूस्ती व अधिघोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 88 व 188 रा0का0 अधिनियम एवं दफा–136 रा0भू0रा0अधि0)

निर्णय दिनांक : 17/8/22

उपस्थित :– श्री ओमप्रकाश सैनी एडवोकेट – वादीगण की ओर से

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की एकतरफा कार्यवाही

प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 19 का नाम हजब

पत्रावली पेश हुई। प्रस्तुत पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं0 2055 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नं0 2056 रकबा 05 बिस्वा कृषि भूमि वाकै ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है। उक्त आराजी भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 19 की पैतृक कृषि भूमि है उक्त आराजी भूमि को वाद पत्र मे विवादित आराजी भूमि सम्बोधित किया जा रहा है। आराजी विवादित भूमि की नकल जमाबंदी सम्वत् 2060 से 2063 तक संलग्न वाद पत्र पेश है जो वाद पत्र का ही एक भाग है। वादी का सजरा खानदान बंशावली निम्नांकित प्रकार से है :–

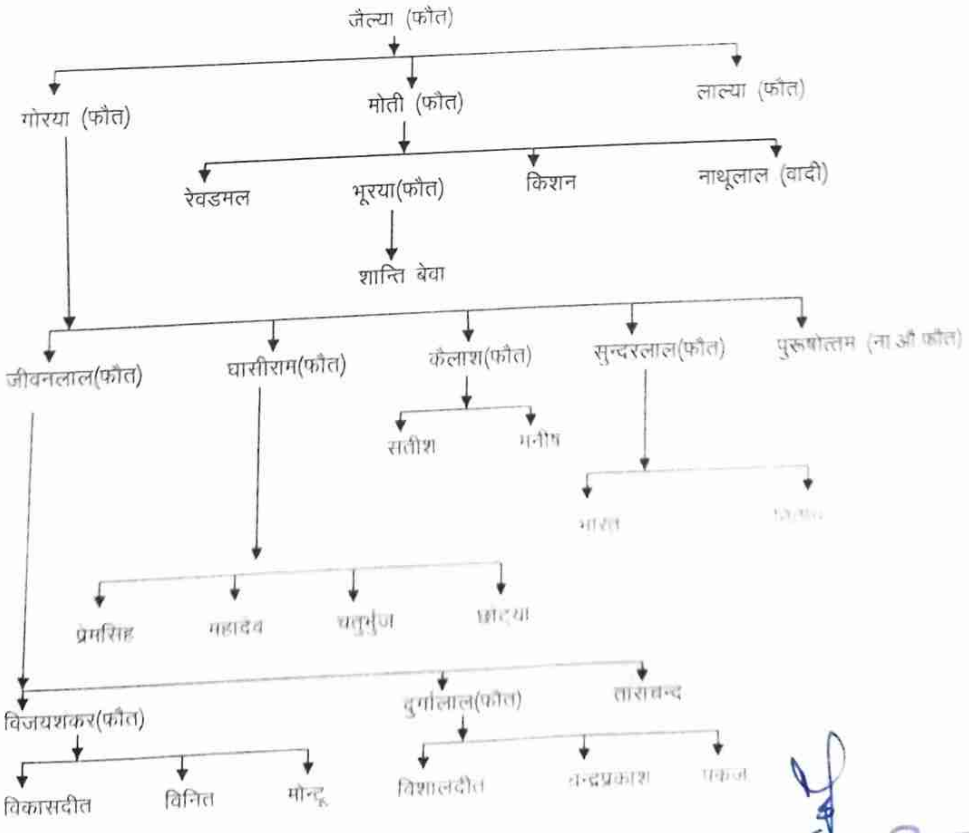

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

आराजी विवादित कृषि भूमि खसरा नं0 2055 एवं खसरा न0 2056 के पूर्व खसरा नं0 1839 रकबा 09 बिस्वा रहे है जो कि वाद पत्र के साथ सलग्न मिलान क्षेत्रफल से भली प्रकार से प्रमाणित है तथा उक्त विवादित आराजी कृषि भूमि की खातेदारी वरवक्त भूमि एकीकरण से पूर्व वादी व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 19 के पूर्वजो की खातेदारी व आधिपत्य की भूमि रही है परन्तु तत्कालीन समय उक्त विवादित भूमियों के राजस्व अभिलेखो मे वादी के पूर्वजो की वल्दियत उक्त विवादित भूमियो के राजस्व अभिलेखो में वादी के पूर्वजो की वल्दियत व मौके गलत रूप से दर्ज चली आ रही थी। तथा वरवक्त भूमि एकीकरण उक्त आराजी विवादित भूमियो में से खसरा नं0 2055 रकबा 04 बिस्वा की खातेदारी इन्द्राजात वादी व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 19 के पूर्वजो के नाम एवम् खसरा नं0 2056 रकबा 05 बिस्वा की खातेदारी इन्द्राज प्रतिवादी संख्या 1 के नाम गलत प्रकार से कर दिये गये तथा उक्त आराजी भूमि खसरा नं0 2056 रकबा 05 बिस्वा के भूमि एकीकरण विभाग द्वारा किए गये इन्द्राजात अवैध एवं क्षेत्राधिकार विहिन है क्योंकि आराजी भूमि विवादग्रस्त वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 19 की मौरूसी आला जैल्या की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है। आराजी वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नं0 2055 के खातेदारी इन्द्राजात वर्तमान राजस्व अभिलेख मे वादी एवं उनके पूर्वजो जीवन, घासी, सुन्दर, पप्पू, भूरा व किशन के नाम दर्ज है। परन्तु जीवन, घासी, सुन्दर, पप्पू, भूरा फौत हो चुके है जिनके वारिसान को प्रकरण में फरीक दर्ज किया गया है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 19 आराजी विवादित भूमि के सहखातेदार है अतएव प्रकरण मे फरीक दर्ज किया गया है। चुंकि आराजी विवादित भूमि में से खसरा नं0 2056 की खातेदारी इन्द्राजात राजस्व अभिलेख मे गलत रूप से दर्ज चले आ रहे है। जिसका अनुचित रूप से लाभ उठाकर उसका रहन, बय, हस्तान्तरण दीगर व्यक्तियो अथवा संस्था के हक में करने पर आमादा है तथा खसरा नं0 2055 की भूमि के भू भाग पर भी प्रतिवादी संख्या 1 जबरन आधिपत्य कर वादी को बेदखल करना चाहता है। जिसका उसे किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नही है। एव भूमि एकीकरण विभाग द्वारा किए गये गलत इन्द्राजात का अनुचित प्रकार से लाभ उठाने व वादी को क्षति पहुचाने पर आमादा है। चुकि वादी एक अनुसुचित जाति का मजदुरी पेशा अत्यन्त निर्धन ग्रामीण परिवेश का सीधा सादा व्यक्ति है। जिसने आराजी भूमि विवादग्रस्त पर कदापि गौर नही किया गया परन्तु दिनाक 08-07-12 को

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज.)

प्रतिवादी संख्या 1 दीगर व्यक्तियो को साथ लेकर आराजी वादग्रस्त भूमियो को दिखाने लग गया एवं नाप जोक करने लग गये जब वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से कहां तो वह नाराज हो गया एवं कहने लगा कि यह भूमि खसरा न0 2056 को मेरे नाम है तथा खसरा नं0 2055 भी मेरी है। मै इनमे छोटे छोटे प्लॉट काटूंगा तथा वादी ने कहा कि यह भूमि तो हमारे पूर्वजो की है इसमे तुम्हारा कोई लेना देना व सरोकार वास्ता नही है। तब प्रतिवादी संख्या 1 नाराज हो गया एव वादी को बेजा चेतावनी रूपरूप कहा कि अब तो विवादित भूमियो को एसे व्यक्तियो को बेचुंगा जो तुम्हारे डण्डे देकर बोरी बिस्तर यहां से फैक देगा। वह तुम्हे लाठी के बल पर जबरन बेदखल कर देगा। प्रतिवादी संख्या 1 की इसी बेजा धमकी से वाद कारण पैदा होकर वादी को अपने हक हकूकों की रक्षार्थ यह वाद पत्र न्यायालय हाजा की सेवामे प्रस्तुत करना पडा है। वादी माननीय न्यालय हाजा से संरक्षण प्राप्त कर इस आशय की अधिघोषणा चाहने के पात्र है कि आराजी विवादित भूमि वर्तमान खसरा न0 2056 रकबा 05 बिस्वा वाकै ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट बाबत भूमि एकीकरण विभाग द्वारा की गई कार्यवाही जिसके फलस्वरूप उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बोगस खातेदारी इन्द्राजात किए गये अवैध एवं क्षेत्राधिकार विहिन है। तथा उक्त भूमि वादी तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 19 बराबर बराबर हिस्से अर्थात हिस्सा 1/3 गौरया के वारिसान, प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 19 हिस्सा 1/3 व मोती के वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 हिस्सा 1/3 के खातेदार एवं काबिज काश्तकार है। तथा अराजी विवादित भूमि को वरवक्त एकीकरण सम्वत् 1984 की खतौनी बन्दोबस्त में दर्ज गलत अंकन नन्या वल्द मोती कौम माली को शुद्व किया जाकर जैला वल्द नन्या कौम कोली अंकित किया जाकर तदनुसार राजस्व अभिलेख में दुरूस्त फरमाये जाने हेतू प्रतिवादी संख्या 20 को आदेशित फरमाया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 20 लगायत 21 को इस आशय की स्थायी निषेधज्ञा से सदैव के लिए पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 आराजी विवादित भूमिया वाकै ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट का किसी दीगर व्यक्तियो अथवा संस्था के हक में मौखिक अथवा लिखित रहन, बेचान, हस्तान्तरण न करे न करावे तथा उक्त आराजी भूमियो मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 19 के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अथवा व्यवधान उत्पन्न न करें न करावे। व जबरन बेदखल कर स्वय कब्जा करने व कराने से व किसी प्रकार का कच्चा अथवा पुख्ता स्थायी व अस्थायी निर्माण कार्य आदि करने कराने से स्वय अपने सेवको

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज.)

साथियो रिश्तेदारो परिवारजनो सहित सदैव पाबन्द रहें एवं प्रतिवादी सख्या 20 उक्त आराजी भूमियों के वर्तमान राजस्व अभिलेख में बिना सक्षम न्यायालय के आदेश व अनुमति के किसी भी प्रकार का परिवर्तन न करें न करावे। विवादित आराजी भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे तथा प्रतिवादी सख्या 21 आराजी विवादित भूमियों बाबत प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले रहन पत्र, दान पत्र, वसीयत पत्र, हस्तानान्तरण पत्र, विक्रय पत्र इत्यादि प्रलेखो का पजीयन न करें न करावे स्वय अपने अधिनस्थ कर्मचारियो सहित सदैव प्रतिबंधित रहें। अतएव उक्त वाद पत्र सेवामे पेश है। वाद कारण दिनांक 08–07–2012 को प्रतिवादी संख्या 1 की आराजी भूमियो बाबत वादी को बेजा चेतावनी देने पर उत्पन्न हुआ है तथा आराजी विवादित कृषि भूमि व पक्षकारान वाद पत्र न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में है। तथा वाद पत्र दफा 136 एल.आर. एक्ट का भी अनुतोष चाहे जाने के कारण न्यायालय हाजा को ही प्रस्तुत वाद पत्र का श्रवणाधिकार है। तथा प्रतिवाद संख्या 2 लगायत 19 विवादित भूमियो के सहखातेदारान हकदार हिस्सेदार है जिनके विरूद्व वाद पत्र मे विशेष दादरसी नही चाही गई है।

पत्रावली पेश होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 19 का नाम हजफ का प्रार्थना पत्र पेश किया जो स्वीकार किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 की तामील जरिये अखबार दैनिक नवज्योति समाचार पत्र दिनांक 02–09–2014 को साया करवायी गयी एवंम् प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 की जरिये अण्डर टेकिंग दी गयी जिसके उपरान्त भी नियत तारीख पेशी पर उपस्थित नही होने के कारण प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लायी गयी। तथा प्रतिवादी संख्या 1 बावजुद अखबार साया के उपस्थित नही होने के कारण दिनांक 21–10–2014 को एकतरफा कार्यवाही अमल मे लायी गयी। वादी की ओर से अपने वादपत्र के साथ जमाबन्दी सम्वत 2031–34, 2040 से 2043, व 2048 से 2051, मिलान क्षेत्रफल, खतौनी बन्दोबस्त जमाबन्दी 2003 से 2022, नकल खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 1984 किता 2 व जमाबन्दी सम्वत 2060 से 2063 मिसल हकीयत बन्दोबस्त पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन मे गवाहान स्वयं वादी व गवाह रामूलाल का शपथ पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। स्वयं वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबन्दी सम्वत 2060 से 2063 प्रदर्श– 1, जमाबन्दी सम्वत

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

2031 से 2034 प्रदर्श–2, जमाबन्दी सम्वत 2040 से 2043 प्रदर्श–3 जमाबन्दी सम्वत 2048 से 2051 प्रदर्श–4, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– 5 खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2003 से 2022 प्रदर्श–6, नकल जमाबन्दी सम्वत 2060–2063 प्रदर्श– 7, मिसल हकीयत बन्दोबस्त प्रदर्श– 8, दैनिक समाचार पत्र प्रदर्श– 9, मिसल बन्दोबस्त सम्वत 1984 प्रदर्श– 10 करवाये गये। तत्पश्चात वाद दौराने सुनवाई वादी की मृत्यु हो जाने पर प्रार्थना पत्र कायम मुकाम पेश किया जो स्वीकार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया तत्पश्चात वाद पत्र संशोधित उनवान पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने तर्क दिया कि आराजी विवादित भूमि वर्तमान खसरा नं0 2055 रकबा 04 बिस्वा एवं खसरा नं0 2056 रकबा 05 बिस्वा जिसके पूर्व खसरा नं0 1839 रकबा 09 बिस्वा थे जिसे वरवक्त भूमि एकीकरण द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि को दो नम्बरो मे विभाजित कर खसरा नं0 2055 रकबा 04 बिस्वा की खातेदारी का इन्द्राज वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 19 के पूर्वजो के नाम दर्ज हो गया किन्तु वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 2056 रकबा 05 बिस्वा के खातेदारी इन्द्राजात जो कि अनुसुचित जाति के व्यक्ति है जिसे प्रतिवादी संख्या 1 जो की सर्वण जाति के व्यक्ति के नाम गलत प्रकार से राजस्व अभिलेख मे अंकन कर दिया तथा इसी प्रकार राजस्व अभिलेख खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 1984 मे गलत रूप से वादीगण व प्रतिवादी सख्या 2 लगायत 19 के पूर्वज जैल्या वल्द नन्या कौम कोली के स्थान पर नन्या वल्द मोती कौम माली गलत अंकित कर दिया भूमि एकीकरण बन्दोबस्त विभाग द्वारा क्षेत्राधिकार विहिन अवैध इन्द्राज अंकित कर दिया गया। जबकि बन्दोबस्त विभाग को विद्यमान अंकन को परिवर्तित करने का अधिकार नही है वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 2056 के बराबर बराबर अर्थात वादीगण का हिस्सा 1/3, मोती के वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 हिस्सा 1/3 व गौरया के वारिसान प्रतिवादी सख्या 5 लगायत 19 हिस्सा 1/3 के खातेदार एव काबिज काश्तकार है। वादग्रस्त आराजीयात का राजस्व अभिलेख मे भूमि एकीकरण बन्दोबस्त विभाग द्वारा क्षेत्राधिकार विहिन प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज अवैध इन्द्राजात को विलोपित किया जाकर आराजी खसरा नं0 2056 रकबा 05 बिस्वा वाकै ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा मे स्थित कृषि भूमि का वादीगण हिस्सा 1/3, प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 हिस्सा 1/3 तथ प्रतिवादी सख्या 5 लगायत 19 हिस्सा 1/3 का खातेदार काबिज काश्तकार घोषित फरमाया जावे तथा वकील

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन मे न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी 2008 (1) पेज 151 राजस्थान हाईकोर्ट, आर.बी.जे(4) 1997 पेज 167 रेवन्यु बोर्ड व आर.आर.टी. 2018 – 19 (Supp.) पेज 505 रेवन्यु बोर्ड पेश किये जो शामिल किया किये गये तथा तर्क दिया कि वादीगण का डिकी फरमया जावे।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, मौखिक साक्ष्य एवं न्यायिक दृष्टांन्तो का सम्मान पूर्वक मनन व अवलोकन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 2055 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नं0 2056 रकबा 05 बिस्वा कृषि भूमि वाकै ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट मे स्थित है जां वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 19 की पैतृक कृषि भूमि है वादग्रस्त आराजी के पूर्व खसरा नं0 1839 रकबा 09 बिस्वा था जिसे वरवक्त भूमि एकीकरण विभाग द्वारा भूमि को दो नम्बर कमशः खसरा नं0 2055 व खसरा नं0 2056 मे विभक्त कर दिया। खसरा नं0 2055 रकबा 04 बिस्वा की खातेदारी का इन्द्राज वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 19 के नाम दर्ज कर दिया एवं आराजी खसरा नं0 2056 रकबा 05 बिस्वा के खातेदारी इन्द्राज प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश ब्राह्मण नामक व्यक्ति के नाम राजस्व अभिलेख में इन्द्राज गलत प्रकार से अंकित कर दिया तथा इसी प्रकार राजस्व अभिलेख खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 1984 में बिना सक्षम प्राधिकारी के आदेश वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 19 के पूर्वज जैल्या वल्द नन्या कौम कोली के स्थान पर नन्या वल्द मोती कौम माली गलत अंकित कर दिया चुकि बन्दोबस्त विभाग को तत्कालीन विद्यमान अंकन को परिवर्तित करने का अधिकार नही था जबकि सैटलमेन्ट विभाग द्वारा बिना सक्षम प्राधिकारी के आदेश कानून के सिद्वान्तो के विपरित जाकर राजस्व अभिलेख में गलत अंकन कर दिया वादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांन्त पूर्णरूप से चस्पा होती है। इसलिए वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 2056 रकबा 05 बिस्वा वाकै ग्राम डिडवाना के राजस्व अभिलेख में दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश पुत्र गंगासहाय कौम ब्राह्मण सा0 देह खातेदार का नाम विलोपित करवाने व वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 19 वादग्रस्त आराजी का खातेदार काबिज काश्तकार उद्घोषित करवाने के हकदार है। इसलिए हमारी राय मे वादीगण का वाद पत्र डिकी किया जाना उचित प्रतित होता है।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

आदेश

अत: आराजी वादग्रस्त खसरा नं0 2068 रकबा 06 बिस्वा कृषि भूमि वाके ग्राम ढिढवाना तहसील लालसोट के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण का हिस्सा 1/3 व मोती के उत्तराधिकार प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 का हिस्सा 1/3 व गोरधन के उत्तराधिकार प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 19 का हिस्सा 1/3 के खातेदार एवं काबिज काश्तकार उदघोषित किया जाता है तथा तहसीलदार लालसोट को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त राजस्व रिकार्ड के वर्तमान इन्दाज में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विलोपित कर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 19 का नाम खातेदार के तौर पर दर्ज करे। एवं प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात में दखल अथवा व्यवधान पैदा न करे न कराने हेतु सदैव के लिए प्रतिबंधित रहे। इस आशय की तहरीर जारी हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17/8/12 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली बाद पूर्ति की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(मोहन सिंह मीना)
उपखण्ड अधिकारी लालसोट
लालसोट जिला दौसा (राज.)

आदेश

अतः आराजी वादग्रस्त खसरा नं0 2056 रकबा 05 बिस्वा कृषि भूमि वाकै ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण का हिस्सा 1/3 व मोती के वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 का हिस्सा 1/3 व गौरया के वारिसान प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 19 का हिस्सा 1/3 के खातेदार एवं काबिज काश्तकार उद्घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार लालसोट को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त राजस्व रिकार्ड के वर्तमान इन्दाज में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विलोपित कर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 19 का नाम खातेदार के तौर पर दर्ज करे। एवं प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात में दखल अथवा व्यवधान पैदा न करें न कराने हेतू सदैव के लिए प्रतिबंधित रहे। इस आशय की तहरीर जारी हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17/8/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली बाद पूर्ति की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(मोहन सिंह मीना)
उपखण्ड अधिकारी, लालसोट
उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)